न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 54/2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. बुधसिंह पुत्र मूलसिंह 2. नारायणसिंह पुत्र सुजानसिंह 3. रतनसिंह पुत्र अमानसिंह (सभी जाति राजपूत, निवासी ग्राम जेलू, तह0 तिंवरी, जोधपुर)		1. रेवतसिंह पुत्र किशनसिंह 2. जुगतसिंह पुत्र सुजानसिंह 3. जेठूसिंह पुत्र सुजानसिंह 4. दलूकंवर पत्नी सुजानसिंह 5. राणुसिंह पुत्र मालमसिंह 6. रावलसिंह पुत्र मालमसिंह 7. सुमेरसिंह पुत्र सुजानसिंह 8. दुर्गा पुत्री हरिसिंह 9. उगमा पत्नी हरिसिंह 10.कालूसिंह पुत्र अमानसिंह 11.हरिसिंह पुत्र सुजानसिंह (सभी जाति राजपूत, निवासी ग्राम जेलू, तह0 तिंवरी, जोधपुर) 12.तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियां, राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 25/2022 दिनांक 07.09.2022

उपस्थित–

1. श्री रोशनलाल, वकील अपीलांट्स
2. श्री लाधूराम पूनिया, वकील रेस्पो0 संख्या 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12

निर्णय

दिनांक 15 .05.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1–रेवंतसिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर तहसील तिंवरी के ग्राम जेलू स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 703 रकबा 4.0792 हैक्टर भूमि की नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी करवाने हेतु अप्रार्थीगण–बुधसिंह वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसमें पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2022 द्वारा प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार तिंवरी को ख0नं0 703 की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि रेस्पो0सं0 1–रेवंतसिंह के खसरान के दक्षिणी सीमा पर अपलांट्स एवं अन्य प्रत्यर्थीगण की भूमि खेत खसरा नं0 704, 705 व 706 आयी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि आज से 15–20 वर्ष पूर्व सीमांकन करवाकर मध्य की सीमा पर 5.05 फीट उच्ची दीवार बनवायी हुई है, जो मौके पर विद्यमान है, इस कारण पत्थरगढी की आवश्यकता ही नही है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नही किया गया। इसके अलावा पैमाईश मे पडौसी खातेदारान को नही सुना गया तथा बिना तरमीम के पत्थरगढी व नेखमबंदी नही की जा सकती है। रेस्पो0सं0 1 मूल नक्शा व सेग्रीगेशन की कार्यवाही में तैयार किए गये नक्शें में अंतर होने का फायदा उठाने की नीयत से अपीलाधीन आदेश की आड में अपीलार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने व उसे मौके से बेदखल करने पर आमदा है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान एव पत्थरगढी के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया थां। जिसे स्वीकार कर तहसीलदार तिंवरी को पैमाईश के लिए राजस्व टीम गठित कर प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 के खेत की पैमाईश करवाने का व उक्त सीमाचिन्हों पर पत्थरगढी करने का आदेश दिया है। इस आदेश से अपीलार्थीगण के अधिकार किसी प्रकार से प्रभावित होने की कोई संभावना होने बाबत अपील में कोई कारण नही है। अपील मियाद बाहर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रस्तुत की गई है व इसमें विलंब का कोई संतोष जनक कारण नही बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया था। मौके पर सीमाचिन्ह तोड दिये गये है व सीमाए खुर्द–बुर्द कर दी गई है।

रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थी–रेवंतसिंह द्वारा दिनांक 22.4.24 को प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र धारा 05 परिसीमा अधि0 एवं आवश्यक सुनवाई के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए आग्रह किया प्रार्थी 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति तथा भूतपूर्व सैनिक है। वह इस मामले में शीघ्र सुनवाई करवाना चाहते है। सीमाज्ञान की कार्यवाही मई व जून में ही संभव है, इसके बाद वर्षाकाल आ जाता है। अपीलार्थी द्वारा इस मामले में एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है, जिसकी आड में रेस्पो0सं0 1 के खेत के लिए आने वाले रास्ते को भी बंद दिया है। उक्त अपील दिनांक 12.1.23 को दर्ज कर एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित कर, प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित करने की स्थिति में आदेश नियम 39 नियम 3 सीपीसी की पालना किया जाना अपीलार्थी के लिए आवश्यक है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भेजकर तामिल नही करवाये गये है तथा गत आदेशों की पालना में आगामी तारीख पेशी के सम्मन प्रस्तुत नही किए गये, जबकि सम्मन पेशी के सात दिवस में प्रस्तुत किया जाना कानूनन आवश्यक है। सम्मन के अभाव में प्रत्यर्थीगण की तामिली 1 साल के उपरांत लंबित है। अतः न्यायालय आदेश की पालना में प्रत्यर्थीगण के सम्मन प्रस्तुत करने में चूक के कारण तथा एक पक्षीय स्थगन आदेश, आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों की पालना नही करने के कारण उक्त अपील निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि उक्त अपील संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष दिनांक 11.01.23 को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के मुख्यालय पर नही होने से आवश्यक प्रकृति की होना बताते हुए प्रस्तुत हुई। जिसमें दिनांक 12.01.23 को एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित करते हुए पत्रावली दिनांक 16.01.23 को न्यायालय अतिरिक्त

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

संभागीय आयुक्त जोधपुर को आगामी सुनवाई हेतु स्थानांतरित की गई। दिनांक 13.01.23 को रेस्पो0सं0 1 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा शेष रेस्पो0 की तामिली 1 वर्ष के उपरांत लंबित है। अतः उक्त अपील आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों की पालना के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स खारिज जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 25/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

15.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर